

## ॥ कार्यालय आदेश ॥

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-01-07/2006/103/जे0, पटना, दिनांक-01.09.2014,


विधि विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे को निम्नरूपेण कार्य यथा-विधायी, न्याय, स्थापना एवं अन्य कार्यों को आवंटित किया जाता है :-

1. धार्मिक न्यास पर्षद,
  2. अभियोजन की स्वीकृति,
  3. असमय कारा विमुक्ति,
  4. उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों से संबंधित सभी कार्य,
  5. विधि परामर्शी शाखा का कार्य,
  6. विभागीय मंत्री/राज्य मंत्री स्थापना से संबंधित सभी कार्य,
  7. विभागीय मशीन का क्रय एवं रख-रखाव, वाहन का खरीदगी, ईंधन की आपूर्ति, रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य,
  8. लेखन सामग्री एवं अन्य सामग्रियों का क्रय,
  9. न्यायिक पदाधिकारियों की सुविधा,
  10. मुख्यालय सहित सभी न्यायमंडल के कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी कार्य,
  11. सभी विधि पदाधिकारियों, कनीय अधिवक्ताओं, अपर लोक अभियोजकों, पटना, राँची एवं अन्य विशेष लोक अभियोजक के 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये से अधिक का शुल्क विपत्र जिसमें सचिव का अनुमोदन आवश्यक है।
2. सचिव द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्य।
  3. विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी अपने कार्यों के अतिरिक्त नये संयुक्त सचिव के पदस्थापन होने तक संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी का पूर्व आवंटित कार्यों को भी सम्पादित करेंगे।
  4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
  5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-.....6265/जे0 पटना, दिनांक ...01.09/14

प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारीगण (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कर्मचारीगण, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी मुख्यालय स्थापना), विधि विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव तथा श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।